आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 4/अंक 2/जून 2024
Received: 20/06/2024; Accepted: 22/06/2024; Published: 26/06/2024

लेख

दक्षिण भारत में हिंदी और हिंदी साहित्यकार

- **प्रो.प्रतिभा मुदलियार**

प्रो.प्रतिभा मुदलियार, **दक्षिण भारत में हिंदी और हिंदी साहित्यकार**, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 4/अंक 2/जून 2024,(166-171)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत में हिंदी के स्वरूप पर बात करने से पहले मैं आपको मैं बता दूँ कि हिंदी के विकास में बहुत बडा चरण आज यह है कि 9 जून को हिंदी संघ राष्ट्र की भाषा बन गयी है, एक लंबा संघर्ष समाप्त हुआ।

अगर हिंदी की विकास यात्रा पर सोचा जाय तो यह सहजता से परिलक्षित होता है कि हिंदी भाषा ने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना लोहा बनाकर रखा है। यह तो सर्वविदित है कि आज सारे संसार में सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषाओं में हिंदी दूसरे नंबर पर है। आज ईक्कीसवीं सदी का डेढ दशक बीत चूका है। आजादी मिलकर 70 साल बीत चुके हैं। तब यह प्रासंगिक है कि हम देश विदेश में हिंदी की स्थिति गति के बारे में विचार विमर्श करें। जाने की इतने सालों में हमने क्या पाया क्या खोया। मूल्यांकन होना आवश्यक है।

किसी भी देश की पहचान तीन बातों से होती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्गीत। हमें यही सीखाया गया है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है। किंतु भारत जैसे बहुभाषी देश में कितनी ही तो भाषाएँ हैं और कितनी ही तो बोलियाँ हैं। किंतु देश विदेश में जब राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात आती है तो सबकी जबान पर एक ही नाम आता है..... हिंदी। जिसके परिष्कार, परिवर्धन पर भारत सरकार तथा कई स्वयं सेवी संस्थाएं काफी काम कर रही हैं। कुछ नाम अगर लेने ही होंगे तो वे हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शब्दावलि आयोग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य अकादमी, महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आदि अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। तो दूसरी और प्रतिबद्ध लोग भी निजी स्तर भी काम कर रहे हैं।

हिंदी की भाषागत विशेषता यह है कि उसे सीखना और व्यवहार में लाना अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक और आसान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लोकभाषा की विशेषताओं से संपन्न और लोचदार भाषा है। भाषायी विविधता के बीच भारत की भाषायी पहचान मुख्यत: हिंदी है। हिन्दी भाषा की उपादेयता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह हमारे बहुसंख्य लोगों की भाषा है, साहित्यकार और कवियों की भाषा है, फिल्मों की भाषा है। विज्ञापनों की भाषा है। यह वोट माँगने की इकलौती सशक्त भाषा है। आज भारत में हिंदी की एक अहम राष्ट्रीय भूमिका है, उतनी ही वह अंतरराष्ट्रीय महत्व को महसूस कराने में समर्थ है।

ऐसे में हमारे ही देश में यह सवाल उठता है कि दक्षिण में हिंदी का क्या स्वरूप है... हिंदी को लेकर क्या पर्स्पेशन है.. आम तौर यही कहा जाता है यहाँ कि जनता हिंदी नहीं बोलती... कारण इतिहास में हिंदी का विरोध दर्ज हुआ है और कुछ अलग मिथक भी बने हैं।

किंतु अगर हम फैक्ट चैक करेंगे तो आम आदमी को हिंदी के कारण दक्षिण में दिक्कत होती होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दरअसल हिन्दी भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे भारत के अधिकांश लोग जानते और समझते हैं। यह पूरे भारत की सम्पर्क भाषा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए यदि कोई एक भारतीय भाषा है, तो वह हिन्दी है।

एक समय ऐसा था जब लोग उत्तर की ओर जाते थे अपना करियर बनाने के लिए किंतु आज रिवर्स पलायन हो रहा है। उत्तर के कई लोग दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं.... और सब जानते हैं कि बेंगलुरु इसका अच्छा खासा उदाहरण हैं...। कहने का तात्पर्य यही है कि आज दक्षिण की स्थिति वह नहीं रही जो कुछ साल पहले की थी।

इतिहास की ओर अगर नज़र डालते हैं तो आदिकाल से ही हिन्दी संतों-महात्माओं की, व्यापारियों की, सैनिकों और तीर्थयात्रियों की भाषा थी। जो समस्त भारत में व्याप्त होकर भारत की राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति में समर्थ हो चुकी थी।

इसी तरह सदियों पहले केरल प्रांत में 'स्वाति तिरुनाल' के नाम से सुविख्यात तिरुवितांकूर राजवंश के राजा राम वर्मा (१८१३-१८४६) हिंदी के निष्णात् साहित्यकारों में से एक थे।

इसी तरह ये वही राज्य हैं जहाँ दक्षिण के प्रमुख संतो वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानन्द आदि ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिन्दी में ही किया है क्योंकि इन सभी का अडिग विश्वास था कि भारत में उनके वैचारिक संवहन का एक मात्र सशक्त साधन हिन्दी ही हो सकती है।

और ये वही राज्य हैं जहाँ तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्य भारती ने अपनी तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से विशेष रूप से दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया था।

और अधिक दूर न जाया जाए तो ये वही राज्य हैं जहाँ हिन्दी को राजभाषा घोषित करने वाले प्रस्ताव को रखने वाले प्रथम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय विद्वान श्री गोपालस्वामी अय्यंगर थे, जिसे १४ सितम्बर १९४९ को संविधान में राजभाषा के रुप में स्वीकारा गया।

दक्षिण भारत के हर राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने सन् 1918 ई० में मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी इस संस्थान के पहले प्रचारक थे। अतः इस सभा के द्वारा हिन्दी भाषा को दक्षिण से जोड़ने का यह पहला कदम था।

मद्रास स्थित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के मुख्यालय के अंतर्गत अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य करती हैं। इसी सभा के योगदान से आज दक्षिण भारत के लोग हिन्दी पढ़ने-लिखने और साहित्य सृजन करने में लगे हैं।

हिन्दी के विकास में दक्षिण भारत के सभी राज्यों के अनेक साहित्य प्रेमियों ने योगदान दिया है। उनमे प्रमुख सी पी रामास्वामी अय्यर, टी आर वेंकटराम शास्त्री, एन० सुंदरअय्यर, मोटुरी सत्यनारायण, शेषन, डॉ, नागप्पा आदि ने हिन्दी के प्रति अपनी निःस्वार्थ त्याग-भावना एवं तपस्या-मूलक जीवन को मूलाधार बनाते हुए दक्षिण-भारत के प्रत्येक भूभाग में रहकर एवं वहाँ जा-जाकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए परम स्तुत्य कार्य किए हैं।

इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रसार के लिए शारंगपाणि, बालशौरि रेड्डी, शौरिराजन, चंद्रमौलि, एस.सदाशिवम्, के. वी. रामनाथ, एम. सुब्रह्ममण्यम्, महीलिंगम्, पी. के. बालसुब्रह्मण्यम्, डॉ. एन. सुन्द्ररम्, जंध्याल शिवन्न शास्त्री वेंकट सुब्बाराव, मुडुंबि नरसिंहाचार्य, मल्लादि वेंकट, सीतारामांजनेयुलु, दंमालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, मेडिचर्ल वेंकटेश्वरराव, एस. वी. शिवराम शर्मा, भट्टारम वेंकट सुबय्या, आंजनेय शर्मा, जी. सुन्दर रेड्डी, बोयपाटि नागेश्वर राव, पंडित वेंकटाचलय्या, पी. के. केशवन नायर, के. भास्करन नायर, पंडित सी. वी. जोसेफ आदि अनेक हिन्दी सेवियों के नाम सदैव आदर के साथ लिए जाते हैं।

दक्षिण भारत के विशेष चार राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु की मातृभाषाएँ क्रमशः मलयालम, कन्नड, तेलुगु और तमिल भाषाएँ हैं, जो द्रविड़ परिवार की हैं और इनका हिन्दी से कोई भी भाषायी संयोजन नहीं है। दक्षिण की इन चारों भाषाओं की अपनी-अपनी विशिष्ट लिपियाँ हैं। सुसमृद्ध शब्द-भंडार, व्याकरण तथा समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। इन विसंगतियों के बावजूद भी हिन्दी का सभी भारतीय भाषाओं के साथ साम्य भाव रहा है। यही कारण है कि प्रारम्भ से ही सभी भारतीयों का एक समान मत रहा है कि हिन्दी से ही राष्ट्रीय एकता सम्भव है। भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण धारा हिन्दी भाषा से ही सुरक्षित रह सकती है।

जब हम दक्षिण भारत में हिंदी लेखकों की बात करें तो अत्यंत संक्षेप में मैं बता दूँ कि

दक्षिण भारत के बहुत सारे अ-हिंदी भाषी लेखक हैं जो लगातार लेखन चिंतन कर रहे हैं हैदराबाद से आरिगपूड़ी, आदेश्वर राव, शशि मुदिराज,

चैन्नई से, न वि राजगोपालन, बालशौरी रेड्डी, सरस्वती रामनाथन, शंकर राजू नायडू, एसएन गणेशन, मधु धवन, ईश्वर करुण, वासुदेव शेषण

केरल से चंद्रशेखर नायर, प्रो. विजयन, विश्वनाथ अय्यर, तंगमणि अम्मा, जी गोपीनाथन, रामचंद्रन, अरविंदाक्षण, प्रमोद कोपत्रत,

सरगु कृष्णमूर्ति, काशीनाथ अंबलगे, नागप्पा, एम. एस. कृष्णमूर्ति, प्रभाकृष्ण प्रेमी, पट्टणशेट्टी आदि कर्नाटक से

अनुवाद के क्षेत्र की बात करें तो ऐसे कितने ही अनुवादक है जो अपनी मातृभाषा से हिंदी में साहित्य ला रहे हैं।

और अगर हम पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो हिंदी संस्थागत पत्रिकाओं का दक्षिण में काफी चलन है। जिसमें प्रमुखतः अदिति, हिंदी वाणी, भारतवाणी, केरल ज्योंति, भाग्योदय, साहित्य सौरभ, हिंदी मित्र, हिंदी प्रचारवाणी केरल भारती, हिंदी मिलाप, दक्षिण भारत राष्ट्रमत आदि कई पत्रिकाएं हैं जो लगातार छपती आ रही हैं। आजादी से पहले भी संस्थागत हिंदी पत्रिकाएं हिंदी के प्रचार प्रसारार्थ छपती रही हैं।

तो इस आधार पर तो हम कह ही सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग लंबे अरसे से आजादी के पहले से दक्षिण भारत में हो रहा है और बड़ी मात्रा में लेखन हो रहा है यह अलग बात है कि इन सब के बावजूद हम यह सोचते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग कम या सीमित रूप में होता है दक्षिण भारत की बात करें तो दक्खिनी का जो पूरा हिंदी साहित्य है वह मुख्यतः हिंदी का ही साहित्य है। दक्षिण में उर्दू का जो साहित्य है उसकी लिपि भले देवनागरी ना हो वह भी हिंदी का ही एक रूप है।

यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि दक्षिण में हिंदी का प्रयोग होता बाजार में, प्रशासन में, पर्यटन उद्योग में, मनोरंजन उद्योग में, मीडिया पत्रकारिता में, अध्यापन में, रचनात्मक लेखन में और बोलचाल में होता हुआ दिखाई देता है

बाजार की बात करें तो 90 के बाद जब पूरी दुनिया वैश्वीकरण की जकड में आ गई तो भारत में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। भाषाई लिहाज से अगर देखें तो हिंदी ने एक बड़ी जगह हासिल कर ली है। वह बाजार की पसंदीदा भाषा है। शुरुआत में मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदी को लेकर जो एप्रोच रखती थीं उसमें काफी तब्दीली आई है।

प्रशासनिक हिंदी की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेज में हिंदी को बढ़ाने की बात हो रही है।

पर्यटन उद्योग की बात करें तो बेहद तेजी से टूरिज्म वाली जगहों पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है।

मनोरंजन उद्योग की बात करें तो विज्ञापन, फिल्म, सीरियल, सीरिज आदि सभी में भारी मात्रा में हिंदी का प्रयोग हो रहा है यहां तक की दक्षिण भारत की अलग-अलग भाषाओं में बनने वाली फिल्में समानातंर हिंदी में डब करके लांच की जा रहीं हैं उदाहरण के लिए तेलुगु फिल्म बाहुबली, तमिल फिल्म जय भीम, कन्नड़ फिल्म केजीएफ। आजकल जो बहुत चल रही है कन्नड फिल्म चार्ली 777... ये सभी फिल्में लोकप्रिय हैं।

मीडिया और पत्रकारिता की बात करें तो उसमें भी हिंदी काफी मात्रा में प्रयोग हो रही है दक्षिण भारत राष्ट्रमतऔर हिंदी मिलाप दक्षिण भारत के प्रमुख अखबार हैं।

आज विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पत्रिकाएं चल रही है जैसे कोचिन से अनुशीलन, त्रिवेंद्रम से शोध दर्पण, विजयपुर कर्नाटक से सृजन और आखर।

अध्यापन में हिंदी की बात की जाए तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ी पढ़ाई जा रही है उसके विभाग हैं।

रचनात्मक लेखन की बात करें तो दक्षिण भारत में भारी मात्रा में रचनात्मक लेखन हो रहा है और बोलचाल की भाषा के रूप में देखें तो दक्षिण भारत में लिंगुआ फ्रैंका के रूप में हिंदी आपको मिलेगी।

मीडिया आधुनिक युग का एक अति शक्तिशाली माध्यम है। आज राजतंत्र एवं अर्थतंत्र की प्राथमिकताएं बदली हैं। पत्रकारिता अब मिशन नहीं रही, व्यवसाय बन गयी है। इसलिए मीडिया व्यावसायिक लाभ की अवेहलना नहीं कर सकता।

हिंदी के तथाकथित विरोध के बावजूद हिंदी फिल्मों के सभी दीवाने हैं। मीडिया एवं फिल्मों के बढ़ते महत्व से प्रशिक्षित हिंदी प्रत्रकारों, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों एवं सम्पादकों, अनुवादकों, हिंदी शिक्षकों, पटकथा लेखकों, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी भाषा के विशेषज्ञों एवं हिंदी कम्प्यूटर विशेषज्ञों की माँग बढ़ रही है। माँग के अनुरूप हिंदी के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन हुआ है। अब पत्रकारिता, भाषाविज्ञान, प्रयोजनमूलक हिंदी, रंगमंच प्रयोग, अनुवाद तथा हिंदी कम्प्यूटिंग को उच्चशिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

आज कर्नाटक में उच्च शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय नीति लागु हो चुकी है। इससे विद्यार्थियों को बहुत मात्रा में बहुत कुछ सीखने का प्रावधान है। हमने हिंदी में भी ऐसे कोर्सेस रखें हैं जिससे उनका विकास ही होगा। दरअसल भाषा अध्ययन को लेकर एक मिथ यह भी है कि यहाँ मात्र कविता कहानियाँ पढाई जाती है। पर ऐसा नहीं है आज हिंदी के माध्यम से ज्ञान के हर क्षेत्र को पढ़ाया जा रहा है, प्रयोजनमूलक हिंदी से लेकर अनुवाद, पत्रकारिता, पर्यावरण, संभाषण कला, लोक संस्कृति आदि कई ऐसे विषय है जो आज पढ़ाये जा रहे हैं।

तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था, मीडिया के वर्चस्व, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण ने हिंदी के विकास में अहम भूमिका निभायी है। उदारीकरण ने हिंदी को बाजार की भाषा बनाया, क्योंकि विश्व के पूंजीवादी देशों की व्यावसायिक दृष्टि भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती है और बाजार में मुनाफे के लिए हिंदी को बाजार की भाषा बनाना मजबूरी है। हिंदी के विस्तार का यही सबसे बड़ा व्यावसायिक कारण है। पिज्जा हो या बर्गर, बेचने के लिए हिंदी विज्ञापन का सहारा लेना ही पड़ता है।

हिंदी के विस्तार एवं उसे लोकप्रिय बनाने में मीडिया तथा हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। विदेशी चैनलों को बहुत जल्दी यह आभास हो गया कि भारत में टेलीविजन पर केवल अंग्रेजी कार्यक्रम दिखाकर वे लाभ नहीं कमा सकते। फटाफट सभी चैनेलो पर हिंदी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की होड़ लग गई। विदेशी फिल्में चाहे वे हॉलीवुड की अंग्रेजी फिल्में हों या जर्मन, फ्रैंच आदि भाषा में निर्मित फिल्में, सभी हिंदी में डब होकर प्रस्तुत

की जा रही हैं। सभी प्रकार के टी.वी. कार्यक्रमों में हिंदी का बोलबाला है। एफ.एम. रेडियो ने खूब धूम मचायी। कहने का तात्पर्य है मीडिया तथा फिल्मों ने हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाया है।

माना कि मीडिया का हिंदी के प्रसार में योगदान अवश्य है, किंतु यह भी एक सच है कि मीडिया ने भाषायी प्रदूषण को बढ़ाया है। शब्दों की गरिमा घटी है। कुछ उदाहरण लेते हैं। 'चिंतामणि चिंतामनि नो चिंता औनली मनी', 'ठंडा ठंडा कूल कूल'। 'ये दिल माँगे मोर'। 'रिन दे टू इन वन सफाई' । कुछ इसी प्रकार के उदाहरण देकर भाषायी प्रदुषण की बात कही जाती है। किंतु भाषा तो नित परिवर्तनशील है। यह मात्र हिंदी में नहीं हुआ है। भारत की हर भाषा में हुआ है। फिर आप उसे हिंग्लिश कहिए, किंग्लिश कहिए या फिर मंग्लिश कहिए। बंबई का एक आदमी अगर यह कहता है, 'Early Early morning किधर को जाता brother'. तो यह गलत कहाँ है। पर शुद्धतावादी जरूर कहेंगे भाषा का प्रदूषण हुआ है। मैने नहीं जाना, कि गल है. सोनी कुडी। ऐसे कितने ही वाक्य, वाक्याँश हम सुन सकते हैं। भाषा का यह बदलता रूप आज हमारे सामने हैं। बदल सकते हैं? थोडा कन्नड को भी देख ले.. एफ एम चैनल कभी कभार सुन लेती सुन लेती हूँ तो वहाँ भी यही हाल है। अंग्रेजी मिली कन्नड ही है। कई सारे शब्द मैंने कन्नड में देखे हैं जहाँ 'उ' लगाकर उसका कन्नडीकरण किया जाता है, जैसे 'स्विटु', 'स्कुलु'।

अंग्रेजी पर तो हमें बडा फक्र होता है और अगर हिंदी या अपनी मातृभषा नहीं आती तो यह कहने में जरा भी शर्म नहीं करता कि उसे सही हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं आता। इसके विपरीत उसे यह कहने में गौरव महसूस होता है कि "मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है।" *हमारी यह मानसिकता बदलनी होगी। तभी तो आज शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा र जोर दिया जा रहा है।*

हिंदी ढेरों चुनौतियों से निपटती, आज इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में पहुंची है। भाषा के अस्तित्व का यह संकट उतना ही गहन है जितना धरती पर पारिस्थितिकी का। जिस तरह पारिस्थितिकी हमारे भौतिक अस्तित्व के लिए जरूरी है उसी तरह भाषा हमारे अंतर्मन और आत्मसम्मान के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अंत में भारतेंदु के शब्दों में

निज भाषा उन्नत्ति अहै, सब उन्नति को मूल,
निज भाषा के ज्ञान बिन मिटै न हिय का शूल।

****